7/12/20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 63/13 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा ख.नं. 82/1 रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 91 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. 93 रकबा 1 बिघा 18 बिस्वा मौजा ग्राम मांडियाई कलां तहसील तिजारा मे प्रार्थी के एक-तिहाई की काबिज काश्त वाली भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे एवं राजस्व प्रकार का निर्माण इत्यादि न करें तथा किसी फेरबदल अनुसार होकर इस वाद के तक पत्रावली नत्थी हो

[illegible]